

वन भूमि का औचित्य

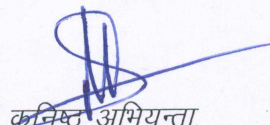
परियोजना का नाम :- जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र रानीखेत के अन्तर्गत भतरौजखान-निगराली-भिकियासौण मोटर मार्ग का विस्तार। (किमी. 16 से 20)(5.00किमी.)

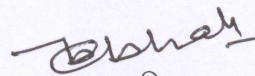
उक्त मोटर मार्ग की स्वीकृति शासनादेश सं० 2454/111-2/05-7(प्रा०आ०)/दिनांक 28.10.05 द्वारा ₹ 82.56 लाख मात्र के लिए 5.00 किमी० लम्बाई हेतु प्राप्त हुई है।

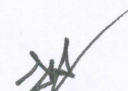
इस मोटर मार्ग के निर्माण की मांग क्षेत्रीय जनता एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा लम्बे समय से की जा रही है। यह मोटर मार्ग ग्राम मझेड़ा, कुम्हार्ती, सौरे व अन्य आस-पास के ग्रामों को जोड़ते हुए भविष्य में तहसील भिकियासौण तक मिलेगा। इस मोटर मार्ग के निर्माण से उपरोक्त गांव की जनता को यातायात की सुविधा एवं ग्रामीणों द्वारा उत्पादित फल, सब्जी, अनाज इत्यादि को मण्डी तक पहुँचाने में सीधा लाभ प्राप्त होगा। इस मोटर मार्ग के निर्माण हेतु विभागीय मानकों के आधार पर सर्वेक्षण कार्य किया गया, जिसमें कम से कम वन भूमि प्रभावित होती है तथा बिना वन भूमि के मार्ग का निर्माण सम्भव नहीं है।

उपरोक्त मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वन भूमि की मांग निम्नानुसार है और इसकी आवश्यकता अत्यन्त औचित्य पूर्ण है।

इस प्रकार उक्त मोटर मार्ग के निर्माण हेतु सिविल राज्य भूमि 0.198है० वन पंचायत 0.765है० कुल 0.963है० तथा 3.537है० नाप भूमि प्रभावित होती है, जिस हेतु वन भूमि हस्तान्तरण के प्रस्ताव गठित किये गये हैं।


कनिष्ठ अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत


सहायक अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत


अधिशाली अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत